न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2020 (रसद)
पंजीयन दिनांक 10.08.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00301

श्री रतनलाल शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी ओडूव्द, उचित मूल्य दुकानदार ओडूव्द, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....विपक्षी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 30/2020 दिनांक 22.07.2020

उपस्थितिः- 1-श्री बसन्ती लाल पोखरना, अधिवक्ता अपीलान्ट
2-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 06.04.2021

अपीलार्थी द्वारा अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 4/93 निरस्त करने का आदेश पारित किया जो एक तरफा मनमाना एवं किसी प्रकार से तथ्यों पर आधारित नहीं है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलार्थी को सुना गया न इस हेतु न्यायोचित समय एवं अवसर प्रदान किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने शिकायतकर्ता श्री सत्यनारायण वैष्णव की झूठी शिकायत के आधार पर राजनैतिक दबाव में बेहद जल्दबाजी में प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 22.07.2020 अपास्त फरमाया जाकर ग्राम ओडूव्द की उचित मूल्य दुकान के दुकानदान का प्राधिकार पत्र संख्या 4/93 बहाल फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 15/2020 (रसद)
श्री रतनलाल शर्मा उ. मू. दुकानदार ओडूल्द बनाम राजस्थान राज्य जरिए जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जिला रसद अधिकारी की ओर से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी के उपस्थित होने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने शिकायतकर्ता श्री सत्यनाराण वैष्णव की अपीलार्थी से व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा एवं राजनैतिक वैमनस्य के चलते झूटी शिकायत के आधार पर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 4/93 निरस्त करने का आदेश पारित किया है जिसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व न तो अपीलार्थी को सुना गया और न ही इस हेतु न्यायोचित समय प्रदान किया गया। कथित कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.05.2020 को जारी करना बताया है जिसकी विधिवत् तामील अपीलार्थी पर नहीं करवाई गई और न नोटिस के प्रत्युत्तर में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया। नोटिस में जो तीन कारण बताये वे गलत होकर दस्तावेज आधारित नहीं होने से अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी का पारित निर्णय निरस्त योग्य है। नोटिस में यह अनियमितता करना बताया है कि–उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नियमित गेहूं का वितरण किया जा रहा है। अतिरिक्त गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहूं अभी तक नहीं दिया। इसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी ने जवाब दिया कि मेरे द्वारा रेग्युलर गेहूं के साथ अतिरिक्त गेहूं भी दिया जा रहा है कुछ उपभोक्ताओं के नाम पोस मशीन में दर्शित नहीं होने से उन्हें अतिरिक्त गेहूं नहीं दिये जिनकी सूचि मेरे द्वारा अलग से बनाई गई है। गेहूं का स्टॉक उपलब्ध होते ही दे दिये जायेंगें। दूसरा आक्षेप यह लगाया कि "राशन वितरण में राशन डीलर द्वारा गेहूं के बदले नकद राशि का भुगतान किया जा रहा है इसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी ने पुरजोर शब्दों में खण्डन करते हुए जवाब दिया कि अपीलार्थी द्वारा गेहूं के एवज में नकद राशि नहीं दी जा रही है गेहूं ही दिये गये हैं। डोर टू डोर गेहूं दिये जाने में पंचायत का वाहन संख्या RJ09 GA 9355 उपलब्ध कराया गया था जिसके साथ नरेगा श्रमिक भगवानलाल अहीर एवं पप्पूलाल चमार निवासी ओडूल्द को गेहूं तोल के लिए भी उपलब्ध कराया गया जिनके द्वारा ही डोर टू डोर गेहूं तोल कर उपभोक्ताओं को दिये गये इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद रहे इस संबंध में पंचायत द्वारा प्रमाण–पत्र भी जारी किया गया है। शिकायताकर्ता श्री सत्यनारायण वैष्णव से अपीलार्थी का वैमनस्य जगजाहिर है उस पर विश्वास कर जिला रसद अधिकारी ने मनमाना एवं एक तरफा आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। जिन गवाहों के बयान लेने का निर्णय में उल्लेख किया है उनमें से किसी के भी बयान न तो अपीलार्थी की मौजूदगी में लिए और न ही अपीलार्थी को उनसे जिरह की अनुमति दी गई। कथित बयान न तो विधि अनुरूप है और न ही जैसा गवाहान ने कहा वैसा ही लिखा गया यह भी प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपने

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय में श्रीमति सुशीला देवी का उद्त किया है। इस संबंध में अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से निवेदन किया कि उसको दिये जाने वाला अतिरिक्त गेहूं उसके भाई को दिया गया तथा उसको साक्ष्य में बुलाने का अनुरोध भी किया लेकिन अपीलार्थी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर मानमाना आदेश पारित कर दिया। निर्णय में राशनकार्डधारी राधेश्याम तेली का हवाला देते उल्लेख किया कि उसे गेहूं न देकर नकद राशि दी गई जिसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी ने स्पष्ट खण्डन करते हुए गेहूं पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन में डोर टू डोर सप्लाई के तहत गेहूं उपलब्ध कराया तथा उक्त गवाह राधेश्याम तेली ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि उसने 70 कि.ग्रा. गेहूं प्राप्त किए हैं गेहूं के बदले नकद रूपए नहीं लिये जिससे भी स्पष्ट प्रकट है कि शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत प्रस्तुत की है। तीसरा आक्षेप यह लगाया है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है इसके जवाब में अपीलार्थी ने बताया कि उसका व्यवहार सभी उपभोक्ताओं के प्रति समान एवं मृदूल व्यवहार है क्षेत्र के सभी उपभोक्ता मेरे कार्य एवं व्यवहार से संतुष्ट है जिसका बड़ा प्रमाण मेरे 27 साल लगातार उचित मूल्य दुकानदार बने रहना है। इस संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक की कथित जांच रिपोर्ट एक तरफा एवं मनमानी है उक्त जांच न तो अपीलार्थी की उपस्थिति में की गई और जिन गवाहान के बयान लिये वे भी अपीलार्थी की अनुपस्थिति में लिये गये। निर्णय में शांतिलाल के बयान का उल्लेख दिया है जबकि शांतिलाल के बजाए उसकी पत्नि राशनकार्ड लेकर आई उसके बयान नहीं लिये। श्री किशनलाल गुर्जर निवासी मिश्रों की पिपली, श्री किशनसिंह निवासी लाखों का खेड़ा, श्री रूपलाल बंजारा आदि उचित मूल्य दुकान नं. 31050 जिसका दुकानदार श्री मोहनलाल जाट है की दुकान से उचित मूल्य की सामग्री लेते हैं। कभी भी उन्होने अपीलार्थी की दुकान से कोई कोई सामग्री न तो ली और न लेने आये। अपीलार्थी की दुकान का पोस कोड 13772 है जिसकी पुष्टि में रेकार्ड की प्रतियां अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की गई तथा इसके अतिरिक्त भी कई दस्तावेजात, शपथ पत्र प्रस्तुत किए। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गवाहान के लिए बयान उनसे पूछताछ पर आधारित नहीं होकर राजनैतिक दबाव में लिए हैं। अपीलार्थी ने प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया तथा न ही ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से प्रमाणित है। अतः अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने प्राधिकार पत्र निरस्त करने का पारित आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए एक तरफा निर्णय दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 22.07.2020 निरस्त फरमाकर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर जांच की गई जिसमें उपभोक्ताओं ने उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति उचित व्यवहार नहीं करना, नियमित गेहूं का ही वितरण किया जाना तथा अतिरिक्त गेहूं का वितरण नहीं किया जाना और गेहूं के बदले नकद राशि का भुगतान करना गवाहानों के बयान के आधार पर प्रमाणित पाया गया है जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन में आता है। अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण हेतु पारित आदेश दिनांक 22.07.2020 विधि-सम्मत् होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा नियमित गेहूं का ही वितरण किया जाना तथा अतिरिक्त गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहूं अभी तक नहीं दिया जाना, राशन डीलर द्वारा गेहूं के बदले नकद राशि का भुगतान करना तथा दुकानदार का उपभोक्ताओं के प्रति उचित व्यवहार नहीं करने के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 22.07.2020 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा शिकायताकर्ता की शिकायत के आधार पर जांच कर जिन गवाहान के बयान लिए उन सभी गवाहान ने, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.07.2020 अनुसार अपने बयान ही पलट दिए अर्थात् वे पक्षद्रोही साबित हुए हैं। इसके पश्चात् पुनः जिन गवाहों के बयान लिए उनमें भी श्री किशन लाल गुर्जर निवासी मिश्रों की पिपली, श्री किशन सिंह एवं श्री रूपलाल बंजारा जो कि लाखों का खेड़ा के निवासी होकर ये उचित मूल्य दुकान पोस कोड 31050 जिसका दुकानदार श्री मोहनलाल जाट है उससे राशन सामग्री प्राप्त करते हैं न कि अपीलार्थी से जिससे उक्त गवाहान के बयानों का महत्व नहीं रह जाता है।

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकानदार ओडूब्द के दिनांक 06.05.20 को किए निरीक्षण में भौतिक सत्यापन करने पर प्राप्त स्टॉक के अनुसार स्टॉक सही पाए जाने का अंकन किया है। यदि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूं के बदले उपभोक्ताओं को नकद राशि का भुगतान किया जाता है तो स्टॉक के मुकाबले भौतिक सत्यापन में गेहूं की मात्रा स्टॉक के बदले अधिक होनी चाहिए थी जबकि भौतिक सत्यापन में मात्रा स्टॉक अनुसार ही पाई गई है।

अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध सरपंच, ग्राम पंचायत ओडूब्द के पत्र दिनांक 17.05.2020 में उन्होने उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 03.05.2020 से 05.05.2020 तक ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन संख्या RJ09 GA 9355 एवं उपलब्ध कराए गए नरेगा श्रमिकों श्री भगवानलाल अहीर व श्री पप्पूलाल चमार के सहयोग से राशन डोर टू डोर सप्लाई

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करना, किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं करना तथा अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप गलत होना बताया है।

अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 07.05.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है किन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को तामील होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को तामील होने संबंधी पुष्टि नहीं हो रही है।

राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा 8 (2) में अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र धारी को उसका अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्राधिकार पत्र धारी/अपीलार्थी को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 22.07.2020 से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है निष्कर्षतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 22.07.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलान्ट/अनुज्ञाधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समुचित जांच के पश्चात् 1 माह के अन्दर विधि-सम्मत् आदेश पारित करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official